

मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त - सितम्बर, २००१ सत्र

वैनिक विधायी सूची

गुरुवार, दिनांक ६ सितम्बर, २००१ (भाद्र १५, १९२३)

समय १०.३० बजे दिन

१. प्रश्नोत्तर

पुथकतः विलिन सूची में सम्पादित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिये जाएंगे।

२. पत्रों का पठल पर रखा जाना

(१) श्री के.पी. सिह, पश्चात्यन मंत्री, कम्पनीज एक्ट, १९५६ की धारा ६१९-के की उपधारा (उ) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य डेपर्टमेंट विकास निगम मर्यादित, भोपाल (समापनाधीन) का समाप्त का लेखा विवरण तथा लेखा परीक्षकों का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष २०००-२००१ पठल पर रखेंगे।

(२) श्री अजय सिह, संस्कृति मंत्री, कम्पनीज एक्ट, १९५६ की धारा ६१९-के की उपधारा (उ) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश फिल्म विकास निगम मर्यादित (समापन अन्तर्गत) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष २०००-२००१ (दिनांक १९.०१.२०००-१८.०१.२००१) पठल पर रखेंगे।

३. नियम १३६ (१) के अधीन ध्यान आकर्षण

(१) सर्वश्री पी.सी. शर्मा, प्रेमनारायण ठाकुर, सदस्य, मध्यप्रदेश राज्य परिवहन निगम के कर्मियों के स्वैच्छिक सेवा निवृति के प्रबन्धणों का नियकरण नहीं किये जाने के संबंध में परिवहन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(२) श्री सोनेराम कुशवाह, सदस्य, मुरैना जिले के जौरा स्थित चिकित्सालय में एक व्यक्ति की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

४. प्रब्रह्म समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री पी.सी. शर्मा, सभापति, मध्यप्रदेश किराया विधेयक, १९९९ (क्रमांक २५ सन् १९९९) पर निर्मित प्रब्रह्म समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

५. नियम १३९ के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

निधीरित

समय

१ घन्टा

३० मि.

(१) मध्यप्रदेश में लड़कों की जर्जर हालत होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सर्वश्री हरीश्कर जायसवाल (हरि भैया), नरेन्द्र बिरथरे, सुनील नायक, भूपेन्द्र सिह, अनुप मिश्रा, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, श्री लक्ष्मीकांत शर्मा तथा कुंवर विजय शाह, सदस्यगण, चर्चा उठायेंगे।

१ घन्टा

३० मि.

(२) मध्यप्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डॉ. सीतासरन शर्मा, सर्वश्री नरेन्द्र सिह लोमर, हरीश्कर जायसवाल (हरि भैया), नरेन्द्र बिरथरे, सुनील नायक, भूपेन्द्र सिह, अनुप मिश्रा, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, श्री रसाल सिह, कुंवर विजय शाह, श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, श्री रणवीर सिह एवं श्री लालसिह, सदस्यगण, चर्चा उठायेंगे।

६. नियम ५२ के अधीन आजे घटे की चर्चा

दिनांक २३ अगस्त, २००१ को वित्त मंत्री से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५ (क्रमांक-१४८२) के उत्तर से उद्भूत विषय पर डॉ. गौरीश्कर शेजवार तथा डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, चर्चा उठायेंगे।

भोपाल :
दिनांक : ५ सितम्बर, २००१

डॉ. ए. के. पद्मासी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा।